

## समय-सीमा



छत्तीसगढ़ शासन,  
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग,  
मंत्रालय,  
महानदी भवन, नया रायपुर

क्रमांक एफ 8-4 / 2013 / 34-2 / 1765

रायपुर, दिनांक 18 / 7 / 2013

प्रति,

प्रमुख अभियंता,  
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग,  
छत्तीसगढ़ रायपुर।

**विषय:- राज्य में प्रोक्योरमेंट एवं कार्य संबंधी निविदाओं में सत्यनिष्ठा संधि  
(Integrity Pact) लागू करना।**

**संदर्भ:- मुख्य सचिव, छ.ग. शासन का पत्र क्र.799 / मुस / 2013 दिनांक 10.7.2013.**

—00—

विषयांतर्गत संदर्भित पत्र की छायाप्रति संलग्न है, जिसमें मुख्य सचिव, छ.ग. शासन द्वारा राज्य में प्रोक्योरमेंट एवं कार्य संबंधी निविदाओं में सत्यनिष्ठा संधि (Integrity Pact) लागू करने के संबंध में वित्त विभाग के वित्त निर्देश दिनांक 6.7.2013 को जारी परिपत्र क्र.243 / वि / नि / चार / 2013 वेबसाईट [www.cgfinance.nic.in](http://www.cgfinance.nic.in) द्वारा विभाग से संबंधित दिये गये दिशा निर्देशों का तत्काल पालन करना सुनिश्चित करें, ताकि जुलाई 2013 के अंतिम सप्ताह में मुख्य सचिव, छ.ग. शासन द्वारा समीक्षा में जानकारी उपलब्ध करायी जा सके।

इसे सर्वोच्च प्राथमिकता देवें।

(गणेश शंकर मिश्रा)

सचिव

छत्तीसगढ़ शासन  
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग

मुख्य सचिव कार्यालय  
छत्तीसगढ़ शासन  
मंत्रालय  
महानदी भवन, नया रायपुर

क्रमांक : ७९९ / मु.स./ 2013

रायपुर, दिनांक : १० / ०७ / २०१३

प्रति,

अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव (समस्त)  
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, बिलासपुर,  
समस्त विभागाध्यक्ष,  
प्रबंध संचालक, सार्वजनिक उपक्रम, बोर्ड (समस्त)  
पंजीयक, सहकारी संस्थाएं,  
समस्त संभागायुक्त,  
समस्त जिलाध्यक्ष


विषय :- राज्य में प्रोक्योरमेंट एवं कार्य संबंधी निविदाओं में सत्यनिष्ठा संधि (Integrity Pact) लागू करना।

~~05/~~  
Pl. put up.

जैसा कि आप अवगत होंगे, राज्य शासन द्वारा प्रोक्योरमेंट, शासकीय नीलामी एवं निर्माण कार्य संबंधी खुली निविदाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित करने हेतु शासन के सभी विभागों, अधीनस्थ कार्यालयों, मण्डलों, निकायों एवं राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में "सत्यनिष्ठा संधि" (Integrity Pact) लागू करने का निर्णय लिया गया है। इसे सामग्री एवं सेवा के प्रोक्योरमेंट, सरकारी नीलामी तथा निर्माण कार्य (works contract) संबंधी निविदा में परिशिष्ट (Annexure) के रूप में शामिल करना होगा।

2. इस संबंध में वित्त विभाग द्वारा दिनांक ६/७/२०१३ को जारी परिपत्र क्रमांक 243/वि/नि/चार/2013 में विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं जो कि वित्त विभाग के वेबसाईट www.cgfinance.nic.in में उपलब्ध है।

कृपया अपने अधीनस्थ संस्थाओं द्वारा उपर्युक्त निर्देश का पालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें। जुलाई के अंतिम सप्ताह में मैं इसकी समीक्षा करूँगा।



ENCL के लिए मैं  
11/7/13

महिला  
१५.७.१३

(सुनिल कुमार)  
मुख्य सचिव  
10.07.13

1287  
आदेश क्रमांक 134-2/20  
दिनांक 16/7/2013

